

डीजलपंप/रोटार्वेटर/जीरोटिलेज एवं अन्य यंत्र वितरण हेतु आवेदन पत्र:-

दोजना का नाम:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/आईसोपान/रा.कृ.वि.यो./अन्य.....

प्रकरण पंजीयन क्रमांक..... तिथि..... वर्ष..... वि०खंड:-.....

1. नाम कृषक श्री/श्रीमति.....
2. पति/पिता का नाम.....
3. जाति.....
4. वर्ग.....
5. श्रेणी.....
6. गाँव का नाम.....
7. विकास खंड का नाम.....
8. किसान का स्थई पता.....

फोटो

ग्रा.कृ.वि.अधि./वरि.कृ.
वि.अधि. से प्रमाणित
(दो फोटो एक घसपा करें)

- फोन/मोबाइल नं.....
9. खसरा नं..... रकबा.....
 10. सिंचाई स्रोत (स्वयं का).....
 11. सिंचाई साधन (स्वयं का).....
 12. फसल क्रम.....
 13. नाम यंत्र.....
 14. नाम मेक.....
 15. यंत्र का मानक नं०.....
 16. यंत्र की क्षमता.....
 17. प्रदाय संस्था का नाम.....
 18. कुटेशन राशि रू०..... (अंकन).....
 19. अनुदान राशि रू०..... (अंकन).....
 20. कृषक अंश राशि रू०..... (अंकन).....
 21. ट्रेक्टर की जानकारी.....

उपरोक्त सभी जानकारी सत्य है ।

हस्ताक्षर सरपंच

हस्ताक्षर कृषि स्थाई समिति

हस्ताक्षर कृषक

पता:-.....

हस्ताक्षर सचिव कृषि स्थाई समिति

अ.पु.सि.

अनुशंसा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि, आवेदक द्वारा पूर्व पृष्ठ पर बिन्दु क्रमांक 1 से 21 तक की जानकारी का मोकामा मुआयना कर जाँच कर ली है। कृषक ने किसी भी अन्य योजना से अनुदान का लाभ नहीं लिया है। ग्रा. कृ. वि. अधिकारी द्वारा जाँच की गई है। कृषक धान-गेहूँ फसल लेता है इसकी पुष्टि ग्रा. कृ. वि. अधिकारी द्वारा कराई गई है।

अतः प्रकरण स्वीकृति हेतु अग्रेषित है।

ग्रा०कृ०वि०अधिकारी

वरि०कृ०वि०अधिकारी

केन्द्र.....

वि.खंड.....

-: अनुशंसा/घोषणा पत्र :-

सत्यापित करता हूँ कि कृषक श्री/श्रीमति.....
पिता/पति श्री ग्राम वि.
खंड..... में शासन से संचालित अन्य शासकीय योजनाओं से अनुदान
लाभ नहीं लिया है। कृषक ने धान-गेहूँ फसल की बोनी की है तथा स्वयं का सिंचाई स्रोत साधन है, तथा
संलग्न कुटेशन अनुसार यंत्र आई.एस.आई. मानक स्तर का है एवं मानक क्र.-10804(1994) के अनुरूप है तथा
बुदनी परीक्षण केन्द्र द्वारा जारी सूची में इसका नाम सम्मिलित है।

अतः अनुशंसा की जाती है।

कृ०वि०अधिकारी

ग्रा०कृ०वि०अधिकारी

मुख्यालय.....

मुख्यालय.....

बरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

रा.खा.सु.मिशन अन्तर्गत

वि.खंड.....

कार्यरत अधि./कर्म.

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी की अनुशंसा पर दिये गये घोषणा पत्र
की पुष्टि कर ली गई है जो कि सत्य है। अतः प्रकरण स्वकृति योग्य होने पर ही अग्रेषित किया गया है।
वरि०कृ०वि०अधि० एवं ग्रा०कृ०वि०अधि० से भीतिक सत्यापन प्रस्तुति पर ही अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

वरि०कृ०वि०अधिकारी

अनु०कृ० अधिकारी

केन्द्र.....

वि.खंड.....

आदेश

आवेदक कृषक श्री / श्रीमति

पिता/पतिश्री.....

ग्राम..... वि.खंड.....श्रेणी..... के है।

अतः उन्हें रा.खा.सु.मिशन धान गेहूँ फसल अंतर्गत कृषि यंत्र पर अनुदान
राशिस्वीकृति की जाती है। राशि का भुगतान अनु.कृ.अधि./ब.कृ.वि.अधि./ रा.खा.सु.मिशन अन्तर्गत
अधि./कर्म. के भीतिक सत्यापन उपरांत ही देय होगी।

पंजीयन क्रमांक.....दिनांक..... पंजी पृष्ठ क्रमांक.....

उपसंचालक सहपरियोजना संचालक "आत्मा"
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला सागर (म. प्र.)

-: नोटरी शपथ पत्र :-

1. मैं श्री/श्रीमति.....पिता/पति.....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे पास खसरा नं. में स्वयं का
कूप/नलकूप/तालाब है ।
2. यह कि मेरे पास मेंक.....एच.पी.....का डीजल पंप/विद्युत पंप/ट्रेक्टर है ।
3. यह जमीन मेरी स्वयं की है, संलग्न अन्य कोई हिस्सेदार नहीं है ।
4. यंत्र..... का उपयोग मैं स्वयं करुगा इसको बेंचा नहीं जाएगा । मेरे
द्वारा यंत्र का लाभ प्रथम बार लिया जा रहा है ।
5. शासन द्वारा संचालित अन्य शासकीय योजनाओं से अभी तक अनुदान लाभ नहीं लिया गया है ।
6. मेरे द्वारा धान-गेहूँ फसल अंतर्गत फसलों की बोनी की गई है ।
7. प्रदाय संस्था/एजेंसी को मेरे कृषि यंत्र..... की अनुदान राशि सीधे भुगतान
की सहमति देता हूँ।
8. यह जानकारी गलत पाई जाने पर मैं स्वयं जवाबदार रहूँगा एवं राजस्व वसूली के तहत कार्यवाही के
लिये उत्तरदायी रहूँगा ।

गवाह:- 1.

2.

हस्ताक्षर कृषक